

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक:-लेखा/निविदा/2018-19/2955

दिनांक:- 18/01/2019

निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जलपान एवं भोजन व्यवस्था हेतु संबंधित व्यवसायियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विभागीय वेबसाइट [www.krishi.rajasthan.gov.in](http://www.krishi.rajasthan.gov.in) एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) से देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं।

क्र. सं.	नाम कार्य	अनुमानित लागत (लाख रु)	निविदा प्रपत्र विक्रय अंतिम		निविदा शुल्क (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा प्रस्तुति का अंतिम दिन		निविदा खोलने का समय	
			दिनांक	समय			दिनांक	समय	दिनांक	समय
2	जलपान भोजन व्यवस्था	5.00	25.01.19	6.00	200	10000	28.01.19	1.00	28.01.19	2.00

उप निदेशक कृषि (विस्तार)  
जिला परिषद, डूंगरपुर

दिनांक:-

क्रमांक:-लेखा/निविदा/2018-19/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस निविदा सूचना एवं संलग्न पत्रादि को वेब साइट [www.krishi.rajasthan.gov.in](http://www.krishi.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
2. सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय डूंगरपुर।
3. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), डूंगरपुर।
4. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), डूंगरपुर।
5. दैनिक भास्कर डूंगरपुर को न्यूनतम साइज में प्रकाशनार्थ।
6. कैशियर/भण्डारपाल कार्यालय हाजा।
7. नोटिस बोर्ड

(जी.एस.कटारा)  
उप निदेशक कृषि (विस्तार)  
जिला परिषद, डूंगरपुर

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार) जि.प. डूंगरपुर (राज0)

—: निविदा प्रपत्र :-

  
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)  
डूंगरपुर

कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जलपान एवं भोजन व्यवस्था

1. निविदा प्रपत्र क्रमांक : .....
2. निविदा सूचना : क्रमांक / लेखा / निविदा / 2018-19 / दिनांक
3. निविदादाता फर्म का नाम : .....
4. फर्म का पूर्ण पता : .....
5. दूरभाष नम्बर : बेसिक ..... मोबाईल .....
6. फर्म का पेन न0. : .....
7. फर्म का GST/TIN No. ....
7. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा : रसीद न0 ..... दिनांक ..... रु. ....
8. धरोहर राशि का विवरण: राशि रु0- ..... रसीद न0 ..... दिनांक .....
9. निविदादाता द्वारा निविदित दरे :

	जलपान भोजन व्यवस्था विवरण	चार्ज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
चाय	फुल कप चाय सुबह व दोपहर बाद	
नाश्ता	पौआ / आलुबडा / कचोरी / समोसा मेंसे एक	
लंच	शुद्ध घी में चुपडी हुई चपाती, चावल, दाल, हरी सब्जी, मिठाई, सलाद व अचार	
योग राशि:-		

10. निविदा प्रपत्र के साथ सलंगन दी गई शर्तों का पालन करने के लिए मैं सहमत हूँ ।

हस्ताक्षर निविदादाता

## कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार)जि0प0,डूंगरपुर(राज0)

### निविदा की शर्तें

#### कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जलपान एवं भोजन व्यवस्था

1. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदाएँ कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रारूप में ही भरी हुई स्वीकार की जावेगी। निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी आवश्यक है। बिना धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा निर्धारित प्रपत्र में पेन से भरी जावें। दरे अंको एवं शब्दों में भरी हुई होगी कटिंग पर निविदाता के हस्ताक्षर किये जावें।
5. निविदा के लिफाफे पर निविदा अंकित होना चाहिये तथा मध्य भाग पर उप निदेशक कृषि (वि) डूंगरपुर का पता एवं नीचे बायी तरफ निविदादाता का पता अंकित होना चाहिए।
6. जिले में निर्धारित किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों पर प्रशिक्षणार्थियों के लिये भोजन एवं जलपान उपलब्ध कराना होगा।
7. निविदादाता जो दर भरे इसमें समस्त खर्चा मय माल-मजदूरी, परिवहन एवं समस्त प्रकार के कर आदि सम्मिलित कर प्रति व्यक्ति दर देवें। प्रस्तुत दर के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. जलपान-भोजन सप्लाई के लिये सरकार द्वारा निर्धारित समस्त औपचारिकताओं एवं नियमों का पालन निविदादाता को करना होगा।
9. प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी / बढ़ोतरी या परिवर्तन / निरस्त किया जा सकता है।
10. पूरे जिले में किसी भी स्थान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिन में जिले में अनेक स्थानों पर आयोजित किये जावेंगे सभी स्थानों पर समय पर व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदादाता की कोई भी निजी शर्तें स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. निविदा दर अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।
13. निविदा दर अनुमोदन के बाद सफल निविदादाता को स्वयं के खर्च से रु.500 / - के स्टाम्प पेपर पर करार पत्र निर्धारित करना होगा।
14. सफल निविदादाताओं को जारी किये जाने वाले कार्यादेश के मूल्य की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में इस कार्यालय में जमा करानी होगी। निविदा के साथ जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा।
15. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार ही व्यवस्था करनी होगी। निर्धारित व्यवस्था उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अन्य व्यवस्था की जा कर कार्यक्रम संपादित किया जावेगा। जिसकी अन्तर राशि संविदाधारी से वसूल की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. सप्लाई होने वाली खाद्य सामग्री प्रदूषित न हो अन्यथा खाने वालों के अस्वस्थ होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
17. भुगतान बजट की उपलब्धि पर आवश्यक कार्यावाही पूर्ण होने के पश्चात बैंक के माध्यम से किया जावेगा।
18. आयकर एवं जी.एस.टी. स्त्रोत पर नियमानुसार काटा जावेगा।
19. सेवायें संतोषप्रद नहीं होने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार उप निदेशक कृषि(विस्तार) डूंगरपुर को होगा।

उप निदेशक कृषि(वि0)

डूंगरपुर

हस्ताक्षर निविदादाता